

प्रेसनोट दिनांक 27.10.2024

1. दिनांक 26.10.2024 को वादी म०उ०नि० प्रियंका थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रितेश शर्मा पुत्र तिलकराम नि० दौलतपुर थाना हरैया बस्ती।गिर० अभि० द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने वाली महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 560/24 धारा 296 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 26.10.2024 को वादी उ०नि० श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमित गुप्ता पुत्र मंगली प्रसाद नि० तारुन थाना तारुन अयोध्या।गिर० अभि० द्वारा अवैध पटाखा का भण्डारण व बिक्री करना।जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 303/24 धारा 5/9ख विस्फोटक अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 26.10.2024 को वादी उ०नि० श्री आयुष यादव थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुन्ना रावत पुत्र रामकेवल नि० कुण्डरा थाना मवई अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 187/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 26.10.2024 को वादी उ०नि० श्री शिव सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि इन्द्र बहादुर रावत पुत्र रामकेवल नि० कुण्डरा थाना मवई अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 188/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।